Date
25/04/2020

Sub. 7(a)
Pedogogy of school subject
SST - I

DATE / /
PAGE NO.

इतिहास शिक्षण -

इतिहास मानव जीवन के समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालता है। रेनन ने लिखा है कि " इतिहास शिक्षण राष्ट्रीयता के लिए उपयुक्त होता है।"

इतिहास शिक्षण का उद्देश्य -: इतिहास शिक्षण का उद्देश्य रटकर परीक्षा देना नहीं बल्कि निम्न है।

(I) प्राथमिक स्तर के बाद बच्चों के सामने इतिहास विषय के रूप में परिचय।
(II) इतिहास के विभिन्न स्रोतों की समझ व महत्व
(III) इतिहास के वास्तव स्वरूप पर जाना।
(IV) सांस्कृतिक संरक्षण व विकास
(V) राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना।

इतिहास शिक्षण की विधियां:-

इतिहास विषय को सरल बनाने हेतु निम्न विधियां प्रयोग में लायी जा सकती है।

(I) मॉण्टेसरी विधि
(II) खोज विधि
(III) वाद - विवाद विधि
(IV) प्रश्नोत्तर विधि
(V) प्रोजेक्ट विधि
(VI) पर्यटन विधि

इत्यादि।

Scanned with CamScanner

Date- 20/11/2020

Sub.- C2

Contemporary India and Education

Topic- Second Education Commission -1952-53

मुदालियर शिक्षा आयोग / (माध्यमिक शिक्षा आयोग)

1952-53

→ Introduction- (भूमिका)

माध्यमिक शिक्षा आधुनिक युग की देन है। वैदिक काल में शिक्षा के केवल दो स्तर थे।

(1) प्राथमिक
(2) उच्च

जैसा स्वतन्त्रता के पश्चात गठित यह दूसरा तथा माध्यमिक शिक्षा का पहला आयोग है।

हालांकि इसके पूर्व -

1882- हण्टर कमीशन - माध्यमिक शिक्षा
1919 - सैडलर कमीशन - Se. Edu (माध्यमिक)
1944 - सार्जेन्ट शिक्षा प्रतिवेदन - प्रस्तुत किया
1951 - शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक शिक्षा आयोग की पुनः मांग की जिसके फलस्वरूप भारत सरकार (Gov. of India) ने 23 Sep. 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है।

→ (1) आयोग गठन के कारण :-

(1) माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय थी

(2) विस्तृत

↳ निरुद्देश्य थी। भाषा / माध्यम / मातृभाषा विवाद

Date 22/04/2020

Sub. C2
Contemporary India and Education

माध्यमिक शिक्षा का संगठनात्मक प्रारूप

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं —

(a) माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए जो 11-17 वर्ष तक की आयु की हो।

(b) माध्यमिक शिक्षा की अवधि दो भागों में हो —
(a) 3 वर्ष जूनियर शिक्षा
(b) 4 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

(c) 11 वीं उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश देना चाहिए।

(d) माध्यमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय खोले जायें।

(e) योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायें।

भाषाओं के अध्ययन हेतु सुझाव

भाषाओं के अध्ययन हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिये —

(a) माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो।

(b) भाषाओं के शिक्षण हेतु पांच भिन्न भाषाएं —
(i) मातृभाषा (ii) प्रादेशिक भाषा (iii) संघीय भाषा
(iv) शास्त्रीय भाषा (v) अंग्रेजी (अन्तर्राष्ट्रीय भाषा)

(c) हिन्दी अनिवार्य विषय होना चाहिए।

(d) संस्कृत को उचित स्थान दिया जाये (पाठ्यक्रम में)

(e) अंग्रेजी माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय बनाना चाहिए।

Sub - C2

Contemporary India and Education

Dated 23/04/2020

माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा की अवधि दो भागो मे होने के कारण पाठ्यक्रम भी दो प्रकार का था।

(1) मिडिल स्तर का पाठ्यक्रम –:
(i) भाषायें (ii) समाज विज्ञान (iii) सामान्य विज्ञान
(iv) गणित (vi) कला एवं संगीत (vii) शिल्प

(2) उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विषय –
जूनियर हाई स्कूल के अतिरिक्त निम्न विषय थे –
(i) मानव विज्ञान (ii) प्राविधिक (iii) वाणिज्य
(iv) कृषि विज्ञान (v) गृहविज्ञान इत्यादि।

(3) आन्तरिक विषय –:
(i) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
(ii) हिन्दी (उन छात्रो के लिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)
(iii) एक शास्त्रीय भाषा

(4) वैकल्पिक विषय समूह –
(i) मानव विज्ञान
(ii) इतिहास, भूगोल
(iii) अर्थशास्त्र, ~~गणित~~, नागरिक शास्त्र
(iv) गणित, संगीत, गृहविज्ञान

इस प्रकार इन बताये गये सभी सात वर्ग मे अलग-2 विषय का विवेचन किया गया।

Date: 24/04/2020

Sub - C2
Contemporary India and Education

पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी संस्तुतियाँ

(i) पाठ्यक्रम मे सम्मिलित विषय के लिए विशेषज्ञ समीक्षकों की कमेटी बनाना।
(ii) पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए विशेषज्ञों को आमन्त्रित करना।
(iii) लेखकों को उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था करना।
(iv) स्कूलों के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

1- आयोग ने धार्मिक विद्यालयों में केवल ऐच्छिक आधार पर विद्यालय से बाहर दी जा सकती है।
2- धार्मिक शिक्षा के लिए छात्रों को विवश नहीं किया जा सकता है।

चरित्र निर्माण हेतु शिक्षा

आयोग ने चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया -
(i) चरित्र निर्माण शिक्षकों का अनिवार्य उत्तरदायित्व होना चाहिए।
(ii) छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जाये।
(iii) विद्यालय में अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं को स्थान देना चाहिए।
(iv) सभी विद्यालयों में NCC एवं रेड क्रास की व्यवस्था की जाये।

Date 25/04/2020

Sub. 7(1)
Pedagogy of school subject
SST - I

इतिहास शिक्षण -

इतिहास मानव जीवन के समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालता है।
रैनन ने लिखा है कि " इतिहास शिक्षण राष्ट्रीयता के लिए उपयुक्त होता है।"

इतिहास शिक्षण का उद्देश्य -: इतिहास शिक्षण का उद्देश्य रटकर परीक्षा देना नहीं बल्कि निम्न है,

(I) प्राथमिक स्तर के बाद बच्चों के सामने इतिहास विषय के रूप में परिचय।
(II) इतिहास के विभिन्न स्रोतों की समझ व महत्व
(III) इतिहास के विस्तृत स्वरूप पर जाना।
(IV) सांस्कृतिक संरक्षण व विकास
(V) राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना।

इतिहास शिक्षण की विधियां:-

इतिहास विषय को सरल बनाने हेतु निम्न विधियां प्रयोग में लायी जा सकती है।

(I) मान्टेसरी विधि
(II) खोज विधि
(III) वाद - विवाद विधि
(IV) प्रश्नोत्तर विधि
(V) प्रोजेक्ट विधि
(VI) पर्यटन विधि

इत्यादि।

Scanned with CamScanner

Date.
21-04-2020

Sub.- C2

Contemporary India and Education

जैसा कि आप लोग जानते है कि प्रकार यहां.

शिक्षा के प्रमुख तीन स्तर है

(1) प्राथमिक शिक्षा →

(2) माध्यमिक शिक्षा →

(3) उच्च शिक्षा →

→ (2) आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य व कार्यक्षेत्र —

(a) माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी पहलुओं की जांच करना।

(b) पाठ्यवस्तु की व्यवस्था में उद्देश्यों का प्रतिपादन

(c) प्राथमिक, माध्यमिक - उच्चतर माध्यमिक में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना

(d) माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अन्य समस्याओं का समाधान करना।

→ माध्यमिक शिक्षा का तात्कालिक स्वरूप-

(a) आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके शिक्षा के व्याप्त दोषों का पता लगाया और 28 अगस्त 1953 को 244 पृष्ठों एवं 14 अध्यायों की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।

(b) माध्यमिक शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं।

(c) पाठ्यक्रम छात्रों की अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

(d) शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम के प्रारूप, छात्रों में गुणों के विकास में सहायक नहीं।

(e) माध्यमिक शिक्षा संकीर्ण एवं एकांगी थी।